

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2688] No. 2688] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 19, 2017/भाद्र 28, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 19, 2017/BHADRA 28, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2017

का.आ. 3068(अ).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 3648(अ) में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

1. उत्तरी क्षेत्र से संबंधित 'क' में, दिल्ली के नीचे, क्रम संख्या 16 के बाद संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्:—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
	श्री कृष्णा ऐनालिटिकल सर्विसिज, नई दिल्ली	रासायनिक
"17.	पंजी. सं. 47/एन/एफएसएसएआई/2017	जैविक";
	ए-5/4, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, फेज Ⅱ, नई दिल्ली	

5767 GI/2017 (1)

2. उत्तरी क्षेत्र से संबंधित 'क' में, राजस्थान के नीचे, क्रम संख्या 5 के बाद संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्:-

क्रम सं॰	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
''6.	ओमेगा टेस्ट हाउस, जयपुर	रासायनिक जैविक":
	पंजी. सं. 46/एन/एफएसएसएआई/2017	3114 17 ;
	जे-889, फेज-III, सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर - 302022	

3. पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित 'ख' में, महाराष्ट्र के नीचे, क्रम संख्या 21 के बाद संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्-

क्रम सं॰	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
''22.	एनवाइरोकेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, पुणे	रासायनिक जैविक''
	पंजी. सं. 39/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2017	
	302, ट्रान्सबे बालेवाड़ी गाँव, एसकेपी कैंपस के सामने, बालेवाड़ी, पुणे – 411045	

4. दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित 'ग' में, केरल के नीचे, क्रम संख्या 8 के बाद, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्-

क्रम सं॰	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
	विमटा लैब्स लिमिटेड, कोचिन	रासायनिक
"9.	पंजी.सं. 47/एस/एफएसएसएआई/2017	जैविक''
	कोच्चिन शाखा, 5 सी एवं डी, पांचवा तल, नोएल फोकस,	
	सीपोर्ट-एयरपोर्ट रोड, चेत्तेतुकारा, सीसेज (पीओ), कक्कानड,	
	कोचिन, केरल- 682037	

5. दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित 'ग' में, तेलंगाना के नीचे, क्रम संख्या 6 के बाद, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्-

क्रम सं॰	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
	केयर लैब्स, हैदराबाद	रासायनिक
"7.	पंजी.सं. 49/एस/एफएसएसएआई/2017	जैविक''
	प्लाट सं. 1, तीसरा तल, साई सदन कॉम्पलेक्स, शिवा गंगा	
	कॉलोनी, एलबी नगर, हैदराबाद, तेलंगाना	

- 6. पूर्वी क्षेत्र से संबंधित 'घ' में, सूचीबदृ प्रविष्टियों में से "झारखण्ड "शब्द को विलोपित माना जाऐगा;
- 7. पूर्वी क्षेत्र से संबंधित 'घ' में, ओडिशा की प्रविष्टि से पहले, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्-

क्रम सं॰	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
झारखण्ड		1
	सन टेक, झारखण्ड	रासायनिक''।
"1.	पंजी.सं. 7/ई/एफएसएसएआई/2017	
	40-पी, टुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र, टुपुदाना, हटिया, रांची,	
	झारखण्ड - 834003	

[फा. सं. 12012/07/2017-क्यू.ए.]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 3648(3), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में उसका निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधन हुआ था:-

- (i) का.आ. 567(अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
- (ii) का.आ. 1595(अ), दिनांक 15 मई, 2017;
- (iii) का.आ. 1965(अ), दिनांक 20 जून, 2017; और
- (iv) का.आ. 2316(अ), दिनांक 24 जुलाई, 2017।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

[FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA]

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2017

S.O. 3068(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely:-

In the table,

1. in 'A' related to NORTHERN REGION, under *Delhi*, after serial number 16, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of
		accreditation
(1)	(2)	(3)
	Shree Krishna Analytical Services, New Delhi	Chemical
"17.	Reg. No. 47/N/FSSAI/2017	Biological";
	A-5/4, Mayapuri Industrial Area, Phase II, New Delhi	

2. in 'A' related to NORTHERN REGION, under *Rajasthan*, after serial number 5, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
		accreditation
(1)	(2)	(3)
	Omega Test House, Jaipur	Chemical
"6.	Reg. No. 46/N/FSSAI/2017	Biological";
	J-889, Phase III, Sitapura Industrial Area, Jaipur - 302022	

3. in 'B' related to WESTERN REGION, under *Maharashtra*, after serial number 21, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of
		accreditation
(1)	(2)	(3)
	Envirocare Labs Pvt. Ltd., Pune	Chemical
"22.	Reg. No. 39/W/FSSAI/2017	Biological";
	302, Transbay Balewadi Gaon, Opp SKP Campus, Balewadi, Pune - 411045	

4. in 'C' related to SOUTHERN REGION, under *Kerala*, after serial number 8, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
	Vimta Labs Limited, Cochin	Chemical
"9.	Reg. No. 47/S/FSSAI/2017	Biological";
	Cochin Branch, 5 C&D, 5 th Floor, Noel Focus, Seaport-Airport Road,	
	Chettetukara, CSEZ (PO), Kakkanad, Cochin, Kerala - 682037	

5. in 'C' related to SOUTHERN REGION, under *Telangana*, after serial number 6, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
	Care Labs, Hyderabad	Chemical
"7.	Reg. No. 49/S/FSSAI/2017	Biological";
	Plot No. 1, 3 rd Floor, Sai Sadan Complex, Shiva Ganga Colony, LB Nagar,	
	Hyderabad, Telangana	

- 6. in 'D' related to EASTERN REGION, from the entries thereunder, the word "*Jharkhand*" shall be omitted;
- 7. in 'D' related to EASTERN REGION, before the entry of *Odisha*, the following entries shall be inserted in respective columns, namely,-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
Jharkhand		
	Sun Tech, Jharkhand	
"1.	Reg. No. 7/E/FSSAI/2017	Chemical".
	40-P, Tupudana Industrial Area, Tupudana, Hatia, Ranchi, Jharkhand - 834003	

[F. No. 12012/07/2017-QA]

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* S.O. number 3648(E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide:-

- (i) S.O. 567(E), dated the 20th February, 2017;
- (ii) S.O. 1595(E), dated the 15th May, 2017;
- (iii) S.O. 1965(E), dated the 20th June, 2017; and
- (iv) S.O. 2316(E), dated the 24th July, 2017.